भारतीय संदर्भ में नारी सशक्तीकरण

कमला भसीन

ज्यादातर देश आज महिला-पुरुष समानता और नारी सशक्तीकरण को विकास और साथ ही साथ परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों के कल्याण के लिए अनिवार्य मानते हैं। कोई भी राष्ट्र, समाज और परिवार समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता, यदि उसकी आबादी का 50 प्रतिशत, यानी महिलाएं और लड़कियां सम्मान, आज़ादी और खुशी से वंचित हैं

केवल भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों की महिलाएं भेदभाव का शिकार होती आयी हैं, सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखी जाती रही हैं, वंचित और अधिकार विहीन रही हैं। इसका कारण पितृसत्ता का प्रचलन है, यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ समझा जाता है, जहां संसाधनों पर, निर्णय लेने की प्रक्रिया पर और विचारधारा पर पुरुषों का नियंत्रण होता है। पितृसत्ता में महिलाओं पर हिंसा, व्यवस्था का अंग होती है। अर्थात् महिलाओं को हिंसा या हिंसा की धमकी के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्रत्येक तीन में से एक महिला हिंसा की शिकार होती है। पूरी दुनिया में जारी यह सबसे बड़ी लड़ाई है, और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लड़ाइयां परिवार के भीतर लड़ी जाती हैं।

भारत में महिलाएं: निचले स्तर पर

भारत में महिलाओं में बड़े पैमाने पर भिन्नताएं होने के कारण उनके बारे में व्यापक तौर पर कोई अनुमान लगाना, निश्चित तौर पर कठिन कार्य है। उनका संबंध अलग-अलग वर्गों, जातियों, धर्मों, समुदायों से है। इसके बावजूद कहा जा सकता है कि ज्यादातर महिलाएं पितृसत्तात्मक ढांचों और विचारधाराओं के कारण तकलीफें उठाती हैं, उन्हें महिला-पुरुष असमानताओं और पराधीनता का सामना करना पड़ता है। महिलाएं सामाजिक और मानव विकास के समस्त सूचकों में पुरुषों से पिछड़ जाती हैं। महिलाओं के लिए भारत में दुनिया का सबसे प्रतिकूल महिला-पुरुष अनुपात है। महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा पुरुषों से कम है, महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक स्तर पुरुषों की तुलना बहुत कम है। महिलाएं अल्प कौशल और कम पारिश्रमिक वाली नौकरियों तक सीमित रहती हैं, उन्हें पुरुषों की तुलना में पारिश्रमिक और वेतन कम मिलते हैं और उनका संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों पर विरले ही स्वामित्व और/या नियंत्रण होता है। महिलाओं की प्रधानता वाले घरों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वे हमारे देश के निर्धनतम घरों में से हैं। राजनीतिक एवं सामाजिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। संसद में महिलाओं की भागीदारी कभी 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रही। उन्हें विधिक प्राधिकरण से बाहर रखा जाता है। उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, राजनीतिक नियमों के निरूपण में उनकी राय नहीं ली जाती और उन्हें अधीन रखा जाता है।

सभी जगह तो नहीं, लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्सों में लड़कियां असुविधाओं, बोझ और भय के डर तले जीवन बिताती हैं। वे उपेक्षा, भेदभाव का बोझ उठाती हैं, घरेलू कामकाज का बोझ उठाती हैं, भाई-बहनों की देखरेख का बोझ उठाती हैं, घर से बाहर काम करने का बोझ उठाती हैं। लड़कियां भय के साथ जीती हैं- कोख में ही खत्म कर दिए जाने का भय, जहर दिए जाने का भय, उपेक्षित होने और काल का ग्रास बनने दिए जाने का भय, भरपूर प्यार, देखभाल, पोषण, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा न मिलने का भय। हमारी बेटियां छेड़छाड़ से लेकर दुष्कर्म जैसे

लेखिका स्त्री, विकास, शिक्षा व मीडिया जैसे विषयों पर 1970 से सक्रिय हैं। संप्रति वह नारीवादी संगठन *संगत* की सलाहकार तथा महिला संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र *जागोरी* व *जागोरी खरल चैरिटेबल ट्रस्ट* की वैश्विक अभियान *वन बिलियन राइजिंग* की दक्षिण एशिया समन्वयक भी हैं। विश्व खाद्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं के साथ लगभग तीन दशक तक काम कर चुकी हैं। ईमेल: kamla@sangatsauthasia.org, sangat.sangat@sagovi.org

यौन उत्पीड़न के भय के साथ भी जीती हैं। कड़े और बेहतर कानून पारित हो जाने के बाद भी, जघन्य सामूहिक दुष्कर्मों की संख्या बढ़ती जा रही है। विवाह के बाद उन्हें अकेलेपन, अनमेलपन, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के भय का सामना करना पड़ता है।

यह स्वीकार किया जाने लगा है कि महिलाओं के साथ हिंसा होती है और इसकी भर्त्सना होने लगी है, निर्णय लेने वाले समस्त निकायों में महिलाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। महिलाओं के लिए कुछ कानूनी प्रावधानों में, शैक्षणिक और रोजगार के अवसरों में सुधार हुए हैं, नीतिगत वक्तव्य महिलाओं के प्रति अब ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। सरकारी और गैर-सरकारी विकास एजेंसियों तथा कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या में भी कुछ वृद्धि हुई है और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हमारी सरकारों ने महिलाओं से संबंधित मामलों को देखने के लिए महिला ब्यूरो, आयोग, विभाग और/या मंत्रालय स्थापित किए हैं। इसके बावजूद, हमें महिलाओं और पुरुषों में समानता प्राप्त करने की दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

सशक्तीकरण: गतिशील राजनीतिक प्रक्रिया

महिलाओं और पुरुषों में समानता प्राप्त करने की दिशा में बढ़ने के लिए हमें उन्हें यानी-महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना होगा, जो अधिकारों से वंचित हैं। किसी को सशक्त बनाने के लिए हमें शक्ति को समझने की जरूरत है। शक्ति दूसरों को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता या सामर्थ्य है। शक्ति का अभिप्राय स्वायत्तता, स्वतंत्रता, अपना विकल्प स्वयं चुनना, अपनी बात रखने का अधिकार होना है।

मानव समाजों में शक्ति, संसाधनों और विचारधारा पर नियंत्रण से प्राप्त होती है। जिन लोगों का संसाधनों और विचारधारा (लोगों के चिंतन, विश्वास आदि) पर नियंत्रण होता है, वे परिवारों, समुदायों और देशों के लिए निर्णय लेने वाले और नियंत्रक बनते हैं। इसलिए, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए, पितृसत्तात्मक चिंतन और ढांचों में बदलाव लाने, महिलाओं को संसाधनों (प्राकृतिक, मानव, बौद्धिक, वित्तीय, आंतरिक संसाधन) पर नियंत्रण प्रदान करने, उन्हें निर्णय लेने की भूमिकाओं में लाने आदि की आवश्यकता होगी।

मेरा मानना है कि महिलाओं का सशक्तीकरण तभी हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा, जब सत्ता का हमारा बोध, सत्ता के मौजूदा बोध से अलग होंगे। हमारे लिए सशक्तीकरण का आशय -दूसरों पर अधिकार स्थापित करना, अपने हिस्से से ज्यादा संसाधनों पर नियंत्रण करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह अस्तित्व का सामर्थ्य होना चाहिए, दूसरे के लालच, धनलोलुपता, हिंसा पर नियंत्रण का सामर्थ्य होना चाहिए, अन्य लोगों का विकास करने, उनकी पीड़ा मिटाने और उनकी देखरेख करने, न्याय, नीति, नैतिकता के लिए लड़ने, विवेक और करूणा का मार्ग प्रशस्त करने वाली आंतरिक प्रगति प्राप्त करने का सामर्थ्य होना चाहिए।

महिला आंदोलन और सरकारों तथा सामाजिक संगठनों की कार्रवाइयों से उपजे दबाव के परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए वास्तव में कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं, उदाहरण के लिए-महिलाओं के बारे में जागरुकता बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की पराधीनता और सभी के द्वारा उसे चुनौती दिए जाने की आवश्यकता को स्वीकार किया जाने लगा है।

महिलाओं का सशक्तीकरण सतत और गतिशील दोनों ही तरह की प्रक्रिया है और यह महिलाओं को पराधीन रखने वाले ढांचों और विचारधाराओं को बदलने की महिलाओं की योग्यता में वृद्धि करती है। यह प्रक्रिया उन्हें संसाधनों और निर्णय लेने की प्रक्रिया तक ज्यादा पहुंच और नियंत्रण कायम करने, अपने जीवन पर ज्यादा नियंत्रण प्राप्त करने और ज्यादा स्वायत्तता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो महिलाओं को आत्मसम्मान और गरिमा प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जिससे उनकी आत्म छवि और सामाजिक छवि में सुधार होता है।

सशक्तीकरण की प्रक्रिया एक राजनीतिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसका लक्ष्य महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति के वर्तमान संबंधों में बदलाव लाना है।

महिलाओं के सशक्तीकरण का लक्ष्य मात्र महिलाओं और पुरुषों के अनुक्रमात्मक संबंधों में बदलाव लाने ही नहीं है और नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका लक्ष्य समाज के समस्त अनुक्रमों यथा- वर्ग, जाति, श्रेणी, नस्ल तथा उत्तर-दक्षिण संबंधों में बदलाव होना चाहिए। महिला-पुरुष संबंध शून्य में नहीं संचालित होते, क्योंकि ये अन्य समस्त आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित और प्रभावित होते हैं, इसलिए कोई भी अन्य व्यवस्थाओं और अनुक्रमों में बदलाव लाए बिना, महिला-पुरुष अनुक्रमों में बदलाव नहीं ला सकता।

महिलाओं का सशक्तीकरण, सशक्तीकरण की प्रकृति, समस्त वंचित लोगों और देशों के सशक्तीकरण से अलग नहीं है और न ही अलग किया जा सकता है। इसलिए समान स्वप्न के अलग-अलग खण्ड हैं, इसलिए उनके बीच मजबूत संपर्क और गठजोड़ बनाने की जरूरत है।

मेरा मानना है कि महिलाओं के सशक्तीकरण की बात करते समय, हमें महिलावादी चिंतन और विचारधारा, समानता, न्याय, लोकतंत्र और निरंतरता के सिद्धांतों के सशक्तीकरण के बारे में अवश्य चर्चा करनी चाहिए। इसका आशय है कि हमें इस बात की परवाह किए बगैर सभी महिलाओं का समर्थन नहीं करना चाहिए कि वे किसके लिए उठ खड़ी हुई हैं। हमें महिला तानाशाहों, महिला पितृसत्तात्मकों, जाति और पितृसत्ताा को बढ़ावा देने वाली महिलाओं को महज इस बात के लिए सशक्त नहीं बनाना है कि वे महिलाएं हैं। हम स्वीकार करते हैं कि महिलाएं भी पितृसत्तात्मक और प्रभुत्व जमाने वाली हो सकती हैं और कुछ पुरुष पितृसत्ता और अन्य अनुक्रम व्यवस्थाओं के खिलाफ संघर्ष में हमारे भागीदार हो सकते हैं। हमारा संघर्ष कुछ विशेष सिद्धांतों और एक ऐसे समाज के लिए है, जहां सभी महिलाओं और पुरुषों के पास जीने, आगे बढ़ने और भागीदारी के समान अवसर हैं।

केवल महिलाओं को ही नहीं, बल्कि महिलाओं के परिप्रेक्ष्यों को भी सशक्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि महिलाएं महज एक पृथक वर्ग भर नहीं हैं। प्रत्येक विषय पर -चाहे वह सैन्यीकरण हो, मानवाधिकार हों या सतत विकास हो, महिलाओं की चिंताएं, परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण आवश्यक हैं। प्रत्येक विषय महिलाओं का विषय है।

महिलाओं का सशक्तीकरण यदि मजबूत

और व्यापक बनाना है और कोई बदलाव लाना है, तो ऐसा सभी स्तरों पर और सभी वर्गों में किया जाना चाहिए। बुनियादी स्तर की महिला कार्यकर्ताओं, माध्यमिक स्तर की महिला कार्यकर्ताओं और सरकार में मौजूद महिलाओं, मीडिया में मौजूद महिलाओं, महिला राजनीतिज्ञों, महिला शिक्षाविदों, महिला कलाकारों, महिला उद्यमियों आदि के बीच प्रभावी नेटवर्किंग की आवश्यकता है। हमें सूक्ष्म स्तर पर कार्य करने वालों और व्यापक स्तर पर काम करने वालों के बीच नेटवर्किंग की आवश्यकता है। हमें सभी स्तरों पर दयालु पुरुषों की भी आवश्यकता है।

महिलाओं का सशक्तीकरण एकतरफा प्रक्रिया नहीं है-जिसमें कुछ कार्यकर्ता जाकर अन्य को सशक्त कर सकते हो। यह दोतरफा प्रक्रिया है, जिसमें हम सशक्त बनाते हैं और सशक्त होते हैं। यह हम सभी के लिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी सशक्त नहीं बन सकता और उसके बाद अन्य लोगों को सशक्त नहीं बना सकता।

महिलाओं का सशक्तीकरण बहुआयामी और संपूर्ण होना चाहिए। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कुछ या सभी को शामिल किया जा सकता है:

- महिलाओं के योगदान को समाज में जाहिर करना, यानी यह दर्शाना कि महिलाएं बच्चों को जन्म देने और घर-गृहस्थी संभालने के साथ-साथ किसान, श्रमिक, कारीगर, व्यवसायी आदि भी हैं, वे सदैव उत्पादन में लगी रहती हैं और जीडीपी में उनका योगदान हमेशा ज्यादा रहा है। वे जीवन की उत्पादक, प्राकृतिक संसाधनों की प्रबंधक आदि हैं।
- महिलाओं और समाज को, महिलाओं में पहले मौजूद रहीं और अब तक मौजूद विशेषकर कृषि, स्वास्थ्य, हस्तशिल्प आदि जैसे क्षेत्रों के बारे में जानकारी, क्षमता और कौशलों की पहचान कराना
- महिलाओं को आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास प्रदान करने वाला सामाजिक वातावरण तैयार करना
- महिलाओं और लड़कियों को उनके पूरे सामर्थ्य का अहसास कराने के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें कुछ गिनी-चुनी परंपरागत भूमिकाओं और व्यवसायों में धकेलने की जगह और विकल्प प्रदान करना। उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करना, जो उन्हें घरेलू बनाने की जगह सशक्त बनाए।
- महिलाओं को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने में सक्षम बनाना, वे कब और किससे शादी करेंगी, क्या वे बच्चों को जन्म देंगी और कब देंगी, वे क्या पढ़ेंगी और कब पढ़ेंगी। परिवार, समुदाय और राष्ट्रीय मामलों पर भी निर्णय लेना। सभी स्तरों पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना।
- महिलाओं और लड़कियों की वास्तविक आवश्यकताओं, परिवार के भीतर और बाहर उनके दर्जे, उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में महिलाओं और पुरुषों के बीच जागरुकता उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करना।
- महिलाओं की भोजन, कपड़े और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतें और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी विशेष जरूरते पूरी करने के लिए उनको सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराना।

महिलाओं के संघर्षों और आंदोलनों को शांति आंदोलनों, पारिस्थितिकी आंदोलनों, श्रमिकों और किसानों के आंदोलनों, मानवाधिकार आंदोलनों तथा समाज के प्रजातंत्रीकरण और विकेंद्रीकरण के लिए होने वाले आंदोलनों से करीब से जोड़ने की आवश्यकता है। ये आंदोलन समान संघर्ष के अलग-अलग पहलू हैं।

- महिलाओं को उत्पादन के साधनों तक पहुंच और नियंत्रण, संपत्ति और अन्य संसाधनों तथा आमदनी पर नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता करना।

विशेष ध्यान बिंदु

कुछ ऐसे क्षेत्रों की ओर इंगित करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए बहुत अहम हों, लेकिन अतीत में उन पर पर्याप्त ध्यान न दिया गया हो। इन क्षेत्रों पर बहुत सावधानी से गौर किये जाने की आवश्यकता है और उनसे निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियां तैयार की जानी चाहिए।

संपत्ति और अन्य उत्पादक संसाधनों पर महिलाओं के नियंत्रण का अभाव उनके अधीनता के दर्जे का महत्वपूर्ण कारण है। इसी वजह से महिलाएं हर समय असुरक्षित महसूस करती हैं। बीना अग्रवाल ने अपनी पुस्तक *अ फील्ड ऑफ वन्स ओन: जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया* में बहुत पुख्ता दलील दी है कि महिलाओं और पुरुषों में अंतर का एक अकेला महत्वपूर्ण कारण संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण है, जो महिलाओं के कल्याण, सामाजिक हैसियत और सशक्तीकरण को प्रभावित करता है। इस मामले को सभी स्तरों पर तत्काल हल किया जाना चाहिए।

लाभप्रद रोजगार तक पहुंच में कमी एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है। जहां नकदी लाने पर ज्यादा बल दिया जाता है, वहीं महिलाओं को नकदी लाने के लिए कौशल सीखने और उनका विकास करने तथा लाभप्रद रोजगार के अवसरों से वंचित रखा जाता है। महिलाओं के घरेलू कामकाज का आकलन नहीं किया जाता और यदि वे नकदी नहीं अर्जित कर पातीं, तो उनकी अहमियत कम करके आंकी जाती है, उन्हें बोझ और जिम्मेदारी समझा जाता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन और प्रोफेसर ज्यां द्रेज द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्ष में कहा गया है कि बाहरी कार्य और वेतनभोगी रोजगार से अंत: परिवार वितरण में महिला-विरोधी पक्षपात कम होता है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि 'लाभप्रद' आर्थिक गतिविधि में महिलाओं की भागीदारी दुनिया के बहुत से हिस्सों में महिलाओं को होने वाली की विशेष प्रकार हानियों से निपटने का महत्वपूर्ण कारक है। भारत में हमने महिलाओं के लिए आमदनी सृजित करने वाली गतिविधियों के बारे में काफी चर्चा की है, लेकिन इनमें से ज्यादातर महिलाओं की सहायता करने में नाकाम रही हैं। उन्होंने महिलाओं की आमदनी में ज्यादा वृद्धि किए बगैर उनके काम के बोझ को बढ़ा दिया है। इस मामले पर सावधानीपूर्वक गौर करने की आवश्यकता है।

घरेलू कामकाज और बच्चों की देखरेख के कार्य को साझा करना एक अन्य क्षेत्र है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं की सबसे ज्यादा अधीनता यहीं पर देखी गयी है। महिलाएं हर वक्त कड़ा परिश्रम करती हैं, उनके पास कोई मनबहलाव का समय नहीं होता, पढ़ाई करने, आगे बढ़ने के अवसर नहीं होते। महिलाओं की समानता और सशक्तीकरण की राह में यह एक बड़ी रुकावट है। यदि परिवार हाथ बटाएं, तो

महिलाओं के कठिन परिश्रम में कमी लाई जा सकती है। लड़कों और पुरुषों को बच्चों की देखरेख, लालन-पालन संबंधी गतिविधियों में हाथ बंटाना चाहिए, ताकि महिलाओं को आराम करने का समय मिल सके, स्वयं के लिए समय मिल सके, अन्य रुचियां विकसित करने का समय मिल सके।

महिलाओं की कामुकता पर नियंत्रण एक अन्य क्षेत्र है, जिसका अध्ययन करने, समझने और जिसका समाधान किए जाने की जरूरत है। कम उम्र में शादी, पर्दा, महिलाओं के आने-जाने पर रोक-टोक, ये सभी महिलाओं की कामुकता को नियंत्रित करने के तौर-तरीके हैं, जिनके लड़कियों और महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए व्यापक निहितार्थ हैं।

अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, वह है विचारधारा, जो पितृसत्ता के ढांचों, पद्धतियों और व्यवहार के तौर-तरीकों को उचित ठहराती है और बनाए रखती है। मीडिया विचारधारा के सशक्त रचयिता हैं और हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर मीडिया कितना महिला-पुरुषों में भेदभाव करने वाला और महिला विरोधी रहा है और है। मीडिया में महिलाओं की छवि बदलने की दिशा में काफी काम किया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश स्थितियां और खराब होती चली गयीं।

धर्म भी पितृसत्तात्मक विचारधारा का रचनाकार है। धार्मिक ग्रंथ और पुराण, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं, जो पुरुषों की श्रेष्ठता का पाठ पढ़ाते और उसे उचित ठहराते हैं, उन्हें भी पहले से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर चुनौती दिए जाने की आवश्यकता है। यह वस्तुतः ऐसा क्षेत्र है, जिससे सावधानीपूर्वक पार पाना चाहिए, लेकिन ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जो रातों-रात नहीं बदलेगा, लेकिन यदि हम खामोश रहे, तो यह कभी नहीं बदलेगा। धर्म, जाति, वर्ग, लिंग अनुक्रम को उचित ठहराते हैं, जिसे वर्तमान में अविवेकपूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता।

नारी सशक्तीकरण व शिक्षा

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए शिक्षा वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण संघटक और हस्तक्षेप है, बशर्ते इस शिक्षा की विषय-वस्तु और कार्य पद्धति दोनों ही महिलाओं के पक्ष में हों।

हमें उन प्रयासों को मजबूती प्रदान करने और बढ़ाने की आवश्यकता है, जो महिलाओं को शिक्षित बनाने, जानकारी और ज्ञान देने के किए जा रहे हैं, जो उन्हें पितृसत्तात्मक ज्ञान, नियमों, मूल्यों, व्यवहार पद्धतियों को चुनौती देने में मदद करेंगे। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो केवल शब्द पढ़ने और समझने में ही महिलाओं की मदद न करे, बल्कि हमारी दुनिया को पढ़ने, समझने और नियंत्रित करने में उनकी सहायता करे, जो महिलाओं को केवल शिक्षा के तीन बुनियादी सिद्धांतों में ही महारत न दिलाएं, बल्कि उन्हें अपने स्वयं के जीवन में भी महारत दिलाएं और अपना भाग्यनिर्माता बनने में मदद करे। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो महिलाओं को तेजी से बदलती हुई विश्व की वास्तविकताओं को समझने के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक कौशल हासिल करने में मदद करे, जो उन्हें अपमानपूर्ण और अमानवीय स्थितियों का विरोध करने का विश्वास और ताकत प्रदान करे। यदि हम महिलाओं की साक्षरता के साथ जुड़ेंगे, तो महिलाओं के लिए साक्षरता कक्षाएं जागृति का केंद्र बन जाएंगी। वे महिलाओं को सशक्त समूह बनाने में सहायता करेंगी, ताकि वे अपने जीवन पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण हासिल कर सकें, उनकी चुप्पी तोड़ने में मदद कर सकें, उन्हें जाहिर कर सकें। इन कक्षाओं में ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए, जो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आज़ादी दे, जो उन्हें अपने पूर्ण मानवीय सामर्थ्य को महसूस करने के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करे। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए शिक्षा सामूहिक कार्रवाई और चिंतन की एक अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। हमें शैक्षणिक प्रयास महिलाओं की मौजूद जानकारी और कौशल पर आधारित होने चाहिए। वे पुख्ता होने चाहिए, उनमें प्रत्येक में मौजूद अच्छाइयों को उजागर करने वाले होने चाहिए।

धार्मिक कानून और पद्धतियां जो हमारे संविधान के विरुद्ध हों, जो महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हों, उन्हें चुनौती दी जानी चाहिए। हम इस संवेदनशील विषय पर क्या और कैसे करेंगे, चर्चा की जानी चाहिए और सावधानीपूर्वक योजना बनायी जानी चाहिए ताकि इस बारे में भावनाएं आहत करने और प्रतिक्रिया होने को टाला जा सके।

महिलाओं की शिक्षा की कार्य पद्धति पितृसत्तात्मक और गैर-अनुक्रमात्मक होनी चाहिए। महिलाओं को उनके स्वयं के एजेंडा और प्राथमिकताओं के निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए। शैक्षणिक प्रक्रिया उन्हें स्वयं के बारे में अच्छा महसूस कराने वाली, उनमें विश्वास और आत्म-सम्मान जगाने वाली, उनकी रचनात्मकता को उन्मुक्त करने वाली, उन्हें ऊर्जा से भरपूर और प्रसन्न महसूस कराने वाली और एक शब्द में कहें तो-उन्हें सशक्त बनाने वाली होनी चाहिए।

हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो न केवल नए कौशलों और ज्ञान को तलाशने और प्राप्त करने में सहायता करे, बल्कि प्रतिभागियों को न्याय, समानता, ईमानदारी, सच्चाई और शोषित वर्गों के बीच एकजुटता जैसे सशक्त बनाने वाले मूल्यों को प्राप्त करने में भी मदद करे। यह महिलाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने और जारी करने वाली होनी चाहिए ताकि वे विभिन्न स्तरों पर विविध प्रकार के अपने संघर्षों में दृढ़ विश्वास और साहस के साथ डटी रह सकें।

हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो ज्यादा प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा की ओर न ले जाए, बल्कि महिलाओं के बीच विश्वास और एकजुटता उत्पन्न करे। यह उन्हें विभिन्न स्तरों पर संगठन और नेटवर्क बनाने में सहायता करने वाली होनी चाहिए। इसे महिलाओं को विश्लेषण करने वाला और प्रश्न पूछने वाला दिमाग और अपने आसपास की वास्तविकताओं को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करनी चाहिए। वह उन्हें सूक्ष्म और व्यापक वास्तविकताओं के बीच, सूक्ष्म वास्तविकताओं और व्यापक नीतियों के बीच, स्थानीय और वैश्विक के बीच संपर्क देखने में सहायता करें।

एक बार फिर से कहना चाहती हूं कि महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ मानवीय मूल्यों का सशक्तीकरण भी होना चाहिए। केवल तभी हमारे चारों ओर समानता, न्याय और शांति होगी। महिलाओं का सशक्तीकरण केवल तभी त्वरित गति से संभव हो सकेगा, जब पुरुष इस बात को समझेंगे कि यह उनके लिए भी अच्छा होगा और यह परिवारों और राष्ट्रों के लिए भी अच्छा होगा। याद रहे कि उत्तम पुरुष समानता से भयभीत नहीं होते। ❑